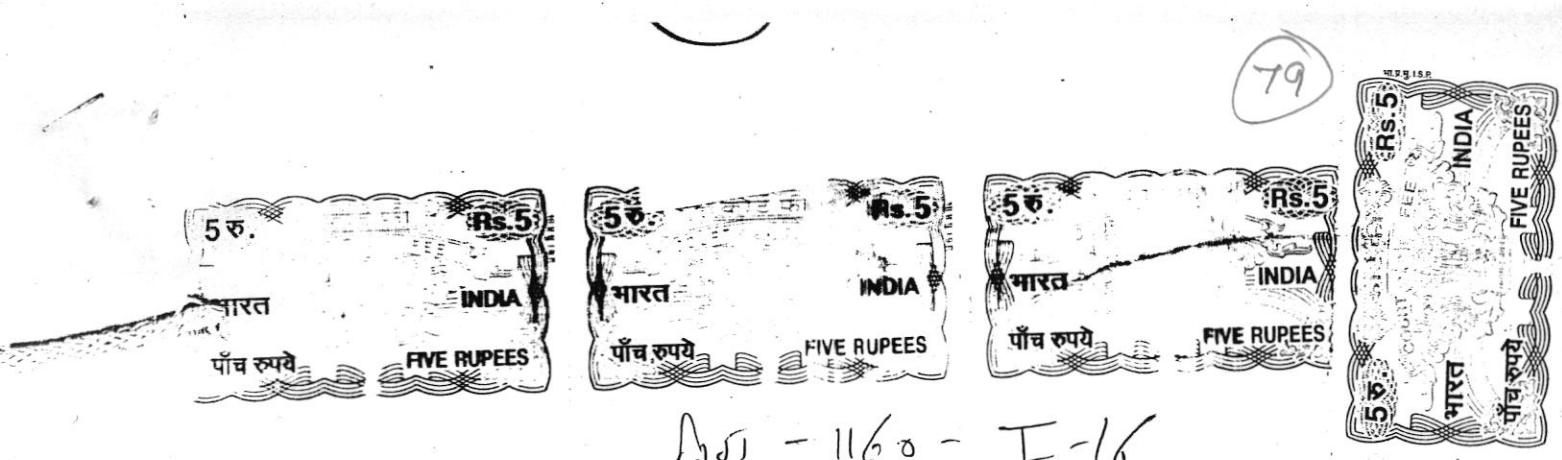

निग – 1160 – I –16

नवीन प्रकरण – 1160/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा

शेर सिंह पुत्र श्री रामसिंह दांगी, निवासी– ग्राम महागौर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला – विदिशा (म.प्र.)

–– अनावेदक

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा दि. 11.4.16 को

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासौदा का आदेश अवैध अनुचित विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, तहसीलदार बासौदा द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार बासौदा द्वारा आवेदक के विरुद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया। जबकि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जॉच स्थल पर नहीं की गयी थी। ऐसी स्थिति में बिना जॉच के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, तहसीलदार बासौदा के अधिकारिता रहित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें प्रकरण की प्रचलनता के दौरान भू–राजस्व संहिता की धारा 32 का

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1160-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	